भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2876

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : हरियाणा के सूखा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा

2876. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हरियाणा के सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी फसल मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ख) सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा जारी मुआवजे की राशि का जिलावार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास विशेष रूप से सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित लंबित मुआवजा मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित मामलों को निपटाने के लिए इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) : प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार उत्तरदायी है। राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, प्रतिपूर्ति के लिए नहीं होती, अपितु राहत के लिए होती है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूखे के मद्देनजर, एनडीआरएफ के तहत हरियाणा राज्य को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है।

सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित बीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को बनाए रखने के लिए हरियाणा सहित पूरे देश में खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यान्वित का रही है। इस स्कीम के तहत बाढ़, सूखा और अन्य स्थानीय जोखिमों जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग से होने वाले नुकसान के लिए एक व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। फसलोपरांत 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के लिए चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत नुकसान की गणना, संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य के अधिकारी और बीमा कंपनियों के अधिकारी वाली समिति द्वारा निरीक्षण के बाद व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है और दावों का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाता है, जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा स्कीम के तहत प्रीमियम का भुगतान किया है।

स्कीम की स्थापना के बाद से, पीएमएफबीवाई को सोनीपत सहित हरियाणा के जिलों में निरंतर कार्यान्वित किया गया है। इस स्कीम के तहत बीमित किसानों को भुगतान किए गए दावे और सोनीपत जिले, हरियाणा में पिछले पांच वर्षों के दौरान कवरेज और भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

दावों का विवरण					**रूपये, करोड़ में**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
भुगतान किए गए दावे	59.68	61.42	20.12	30.43	16.56
लंबित दावे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

*****